

प्रेषक,

श्री बाबू राम,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी 'पर्वतीय जिलों' को छोड़कर
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 1995

विषय:- गाँव सभा में निहित ताल, पोखरों, मीनाशयों एवं जल-पूनालियों
का प्रबन्ध ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस तथ्य को
दृष्टिगत रखते हुए कि मत्स्य पालन कार्य का सम्यक् लाभ मछुवा समुदाय
और अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति को प्राप्त हो तथा ताल, पोखरों
मीनाशयों के पट्टे बिक्रीलियों एवं असामाजिक तत्वों के पक्ष न हो, सम्यक्
विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम
की धारा-126(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि
व्यवस्था नियमावली के नियम-115-क।3। द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह
में निम्नांकित संशोधन करने के आदेश दिए हैं :-

राज्यपाल	राज्यपाल
दो हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के तालाबों, पोखरों, मीनाशयों के लिये	दो हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल के तालाबों, पोखरों, मीनाशयों तथा जल पूनालियों के लिये ।
1-13। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र के मछुवा समुदाय । मछुवा, केवट, क्लिाद, मल्लाह, चिन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, बाथम, रायकवार, माँझी, गोड़िया । कटार। तुरेहा या तुराहा आदि ।	1-13। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र के मछुवा समुदाय को पंजीकृत मछुवा सहकारी समिति जो मत्स्य पालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, म् सहकारी समिति का तात्पर्य सहकारी अधिनि उत्तर प्रदेश 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी मा जीवी सहकारी समिति से है जिसके सदस्य म् समुदाय के व्यक्ति हों ।

।ब। सम्बन्धित न्याय पंचायत के मुख्या समुदाय । मुख्या, केपट, मल्लाह, निषाद, विन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, वाथम, राय-क्वार, माँझी, गोड़िया, क्हार, तुरेहा या तुराहा आदि ।

।स। सम्बन्धित विकास खण्ड के मुख्या समुदाय । मुख्या, केपट, मल्लाह, निषाद, विन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, वाथम, राय-क्वार, माँझी, गोड़िया, क्हार, तुरेहा या तुराहा आदि ।

2-।अ। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति ।

।ब। सम्बन्धित न्याय पंचायत के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति ।

।स। सम्बन्धित विकास खण्ड के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति ।

3-।अ। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की मुख्या समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो । और जो मत्स्य पालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

।ब। सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र की मुख्या समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।स। सम्बन्धित विकास खण्ड स्तर की मुख्या सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।ब। सम्बन्धित न्याय पंचायत के मुख्या समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।स। सम्बन्धित विकास खण्ड के मुख्या समुदाय की मुख्या सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।द। जनपदीय मुख्या समुदाय की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।ध। प्रदेशीय मुख्या समुदाय की मुख्या सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

2-।अ। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जन जाति की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।ब। सम्बन्धित न्याय पंचायत की अनुसूचित जाति/जन जाति की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।स। सम्बन्धित विकास खण्ड की अनुसूचित जाति/जन जाति की सहकारी समिति जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

3-।अ। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की अन्य सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।ब। सम्बन्धित न्याय पंचायत की अन्य सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

।स। सम्बन्धित विकास खण्ड की अन्य पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमों के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत हो ।

4-अ। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जन जाति की पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

।ब। सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जन जाति की पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

।स। सम्बन्धित विकास खण्ड की अनुसूचित जाति/जन जाति की पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

5-प्रतिबन्ध यह है कि :-

।।। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की किसी इच्छुक व्यक्ति के न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत तत्पश्चात् सम्बन्धित विकास खण्ड और तत्पश्चात् सम्बन्धित जगह के इच्छुक व्यक्ति को पट्टा दिया जा सकेगा ।

।2। यदि वरीयता क्रम में एक से अधिक व्यक्ति/समितियाँ हों तो उनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर निर्धनता/आवश्यकता के आधार पर पट्टा आवंटन समिति द्वारा विचार कर पट्टा निरुपादित किया जायेगा ।

।3। यदि नीलागी में किसी गाँव में किसी न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित कर दिया जाता है तो उस द्वाा में परगनाधिकारी द्वारा दैनिक भाड़े पर मत्स्य आगेट की व्यवस्था की जायेगी ।

जहाँ तक सम्मत हो पट्टा देने की कार्यवाही तहसील स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से की जाय। उपरोक्त शिविरों का व्यापक प्रचार किया जाय और शिविरों में उपरोक्त पैरा-60।2।।ख। के अनुसार पात्र व्यक्तियों को आमंत्रित

4- सम्बन्धित जिले स्तर की अन्य पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो सहकारिता नियमानुसार गठित एवं पंजीकृत हों ।

5-प्रतिबन्ध यह है कि :-

।।। सम्बन्धित गाँव सभा क्षेत्र की किसी इच्छुक पंजीकृत सहकारी समिति के न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत तत्पश्चात् सम्बन्धित विकास खण्ड और तत्पश्चात् सम्बन्धित जगह की इच्छुक पंजीकृत सहकारी समिति को पट्टा दिया जा सकेगा ।

।2। यदि वरीयता क्रम में एक से अधिक समितियाँ हों तो उनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर निर्धनता/आवश्यकता के आधार पर पट्टा आवंटन समिति द्वारा विचार कर पट्टा निरुपादित किया जायेगा ।

।3। यदि नीलागी में किसी गाँव में किसी न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित कर दिया जाता है तो उस द्वाा में परगनाधिकारी द्वारा दैनिक भाड़े पर मत्स्य आगेट की व्यवस्था की जायेगी ।

जहाँ तक सम्मत हो पट्टा देने की कार्यवाही तहसील स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से की जाय । उपरोक्त शिविरों का व्यापक प्रचार किया जाय और शिविरों में उपरोक्त पैरा-60।2।।ब। के अनुसार पात्र व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाय ।

किया जाय । सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों के अध्यक्ष प्रधान तथा सेक्रेटरी लेखपाल तथा तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार शिबिरो में उपस्थित हों और शिबिरो में भूमि प्रबन्धक समिति के परामर्श से सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील के नामित मछुवा समुदाय के प्रतिनिधि की संस्तुति पर ही परगनाधिकारी द्वारा पट्टा स्वीकृत किया जाय । यदि भूमि प्रबन्धक समिति किसी तालाब का पट्टा करने में असमर्थ रहती है अथवा परगनाधिकारी इस बात की आवश्यकता अनुभव करें कि किसी तालाब का पट्टा दिया जाना वांछनीय होगा तो वह बिना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के स्वप्रेरणा से भी ऐसा पट्टा दे सकता है। यदि पट्टेदार द्वारा पट्टा दिये जाने की तिथि अथवा तालाब सुधार के लिये स्वीकृत ऋण के भुगतान से तीन वर्ष की अवधि में तालाब सुधार एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं किया जाता, तो कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वे स्वयं अथवा अन्य किसी श्रोत से जाँच करा कर पट्टा निरस्त कर दुबारा पट्टा देने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करायेँ । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों के अध्यक्ष प्रधान तथा सेक्रेटरी लेखपाल तथा तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार शिबिरो में उपस्थित हों और शिबिरो में भूमि प्रबन्धक समिति के परामर्श से सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील के लिये नामित मछुवा समुदाय के प्रतिनिधि की संस्तुति पर ही परगनाधिकारी द्वारा पट्टा स्वीकृत किया जाय । यदि भूमि प्रबन्धक समिति किसी तालाब का पट्टा करने में असमर्थ रहती है अथवा परगनाधिकारी इस बात की आवश्यकता अनुभव करें कि किसी तालाब का पट्टा दिया जाना वांछनीय होगा तो वह बिना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के स्वप्रेरणा से भी ऐसा पट्टा दे सकता है। यदि पट्टेदार द्वारा पट्टा दिये जाने की तिथि अथवा तालाब सुधार के लिये स्वीकृत ऋण के भुगतान से तीन वर्ष की अवधि में तालाब सुधार एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं किया जाता तो कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वे स्वयं अथवा अन्य किसी श्रोत से जाँच कराकर पट्टा निरस्त कर दुबारा पट्टा देने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करायेँ इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

2- मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि मत्स्य आखेट के लिये तालाबों के पृथक् पट्टे दिये जाने तथा मत्स्य व्यवसाय का विकास करने में राजस्व व मत्स्य विभागों के बीच यथोचित तालमेल सुनिश्चित किया जाय ।

3- यहाँ इसका उल्लेख प्रासंगिक होगा कि उपरोक्त व्यवस्था में निर्धारित वरीयताक्रम के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । जहाँ तक पट्टे की अवधि तथा तालाबों के परम्परागत/सार्वजनिक उपयोग का पृथक् है, इस सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था तदनुसार लागू रहेगी । उल्लेखनीय होगा कि जिन तालाबों का परम्परागत/सार्वजनिक उपयोग यथा-कुम्हारी कला हेतु मिट्टी निकालना, कड़े धोना, जानवरों को नहलाना, घरों की मरम्मत हेतु मिट्टी निकालना, सिंगार्ड आदि कार्यों में होता रहा है तो वह पूर्ववत् होता रहेगा तथा इस बात का पट्टे की शर्त में विशिष्ट उल्लेख होगा कि पट्टेदार सार्वजनिक/परम्परागत उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा । पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही 0.5 एकड़ से कम क्षेत्रफल के तालाब/खोखरे सामुदायिक उपयोग हेतु सुरक्षित रहें तथा इनके पट्टे नहीं होंगे किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जहाँ स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 0.5 एकड़ तक के तालाबों के पट्टे किया जाना उचित समझा जाय वहाँ जिलाधिकारी के अनुमोदन से 0.5 एकड़ तक के तालाबों के पट्टे भी स्तम्भ-1 में वर्णित प्रस्तावों के अनुसार किये जा सकते हैं ।

4- कृपया उपरोक्त संशोधनों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा भूमि प्रबन्धक समितियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें । तदनुसार इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शासनादेश संख्या-45/1-2/94-रा0-2, दिनांक 4 जनवरी, 1994 में निहित निर्देश संशोधित माने जायें तथा उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय,

बाबू राम ।
प्रमुख सचिव ।

संख्या-3236/1-2/95-रा0-2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 11 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 12 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 13 मत्स्य निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 14 पशुधन अन्भाग-3, पंचायती राज अन्भाग-1/2, सिंगार्ड अन्भाग-3 उ०प्र० शासन ।
- 15 राजस्व शाखा के समस्त अधिकारी/अन्भाग ।

आज्ञा से,

आर०के० दुबे ।
विशेष सचिव ।